रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2442] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2014/अग्रहायण 11, 1936
No. 2442] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2014/AGRAHAYANA 11, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3036(अ).—जबकि भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जिन्हें स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, ने दिनांक 22.09.2014 को जारी नजरबंदी आदेश सं. यू-11011/01/2014 - पीआईटीएनडीपीएस के अधीन निर्देश दिया था कि श्री सुरेश कुमार राय उर्फ श्री राजकुमार सुपुत्र श्री विश्वनाथ राय, निवासी 127, बैंक कालोनी, पिस्का मोड, रातू रोड, पुलिस स्टेशन- सुखदेव नगर, डाकखाना-राँची, राँची- 835 005 और 41, रामपुर श्यामचंद, गांव/कस्बा- रामपुर श्यामचंद, अंचल- रघुपुर, जिला- वैशाली-844 508 को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें दमदम सुधार गृह, कोलकाता, में नजरबंद किया जाए तथा हिरासत में रखा जाए ।

2. जबकि केंद्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार है या अपने आपको छिपा रहा है जिसके कारण उक्त नजरबंदी के आदेश का पालन नहीं हो सका है ।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर उक्त व्यक्ति श्री स्वरूप समन्ता, जांच अधिकारी, स्वापक औषधि ब्यूरो, कोलकाता, जोनल यूनिट, 4/2, तृतीय तल, कराया रोड, कोलकाता- 700 017 के समक्ष पेश होने का निर्देश देती है।

[फा. सं. यू-11011/01/2014 – पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनंदा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 1st December, 2014

S.O. 3036(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued a Detention Order under F. No. U – 11011/01/2014 – PITNDPS dated 22.9.2014 directing that Shri Suresh Kumar Ray @ Shri Rajkumar s/o Shri Vishwanath Ray, resident of 127, Bank Colony, Piska More, Ratu Road, P.S.-Sukhdevnagar, P.O. Ranchi, Ranchi – 835005 and 41, Rampur Shyamchand, Vill/Town-Rampur Shyamchand, Anchal-Raghopur, District-Vaishali-844508 be detained and kept in custody in Dumdum Correctional Home, Kolkata with a view to preventing him from engaging in illicit trafficking of narcotic drugs & psychotropic substances.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the said detention order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub–section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before Shri Swarup Samanta, Investigating Officer, Narcotics Control Bureau, Kolkata Zonal Unit, 4/2, Karaya Road, 3rd Floor, Kolkata-700017 within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[No. U – 11011/01/2014-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.